M.S.W. II SEM.

5- HUMAN RIGHTS,SOCIAL JUSTICE AND SOCIAL WORK

UNIT -1II

TOPIC :**लोक अदालत (LOK-ADALAT)**

BY

DR.RUPESH KUMAR SINGH

ASSISTANT PROFESSOR

DEPARTMENT OF SOCIAL WORK,

J.S HINDU P.G.COLLEGE AMROHA

लोक अदालत की अवधारणा का अर्थ

- **लोक अदालत** एक ऐसी अदालत / मंच है जहाँ पर न्यायालयों में विवादों / लंबित मामलो या मुकदमेबाजी से पहले की स्थिति से जुड़े मामलो का समाधान समझौते से और सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाता है। इसमें विवादों के दोनों पक्ष के मध्ये उत्पन हुए विवाद को बातचीत या मध्यस्ता के माध्यम से उनके आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जाता है।
- **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम-1978 की धारा 19** में लोक अदालत के आयोजन (गठन) का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या सर्वोच्च कानूनी सेवा समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति या जैसा भी हो, तालुक कानूनी सेवा समिति ऐसे अंतराल या स्थानों पर लोगों के लिए **लोक अदालत** का आयोजन कर सकती है। लोक अदालत ऐसे क्षेत्रों के लिए इस तरह के क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर सकती है जैसा की वह उचित समझती है।

इतिहास

- वर्ष 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 39क जोड़ा गया जिसके द्वारा शासन से अपेक्षा की गई कि वह यह सुनिश्चित करे कि भारत को कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से बंचित न रह जाये। इस उददेश्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले 1980 में केन्द्र सरकार के निर्देश पर सारे देश में कानूनी सहायता बोर्ड की स्थापना की गई। बाद में इसे कानूनी जामा पहनाने हेतु भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 पारित किया गया जो 9 नवम्बर 1995 में लागू हुआ। इस अधिनियम के अन्तर्गत विधिक सहायता एवं लोक अदालत का संचालन का अधिकार राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को दिया गया।

लोक अदालत के लाभ क्या है ?

- अधिवक्ता / वकील पर होने वाला खर्चा नहीं लगता है।
- न्यायालय शुल्कः नहीं लगता है।
- पक्षकारों के मध्य उतपन्न हुए विवादों का निपटारा आपसी सहमति और सुलह से हो जाता है।
- मुआवजा व् हर्जाना तुरंत जाता है।
- यहाँ तक कि पुराने मुकदमें में लगा न्यायालय शुल्क वापस जाता है।
- किसी भी पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाता है।
- लोक अदालत द्वारा पक्षकरों को न्याय आसानी से मिल जाता है।
- लोक अदालत का अवार्ड (निर्णय) अंतिम होता है जिसके खिलाफ किसी न्यायालय में अपील नहीं होती।

लोक अदालत की शक्तियां क्या है ?

- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22 उपधारा (1) के तहत लोक अदालत को इस अधिनियम के अधीन कोई अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में है।
  किसी साक्षी को समन कराना, हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा कराना।
- किसी दस्तावेज को मगवाना या उसको पेश किया जाना।
- शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना।
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज या अभिलेख या ऐसे दस्तावेज या अभिलेख की प्रति की अध्यपेक्षा करना।
- ऐसे अन्य विषय जो न्यायालय द्वारा विहित किया जाये।

लोक अदालत में किस प्रकार के मामलो का निपटारा होता है ?

1. दीवानी सम्बंधित मामले।
2. बैंक ऋण सम्बंधित मांमले।
3. वैवाहिक एवं पारिवारिक झगड़े।
4. राजस्व सम्बंधित मामले।
5. दाखिल ख़ारिज भूमि के पट्टे।
6. वन भूमि सम्बंधित मामले।
7. बेगार श्रम सम्बंधित मामले।
8. भूमि अर्जन से सम्बंधित मामले।
9. फौजदारी सम्बंधित मामले।
10. मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा सम्बंधित दावे।

लोक अदालत का निर्णय।

- विधक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21 में लोक अदालत के द्वारा निर्णय दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
- लोक अदालत द्वारा दिए गए प्रत्येक अवार्ड (निर्णय) को सिविल न्यायालय की डिक्री मानी जाएगी जैसा भी मामला हो। न्यायालय का आदेश जहाँ किसी मामले के समझौते के लिए लंबित मामले को लोक अदालत में भेजा जाता है और उस मामले में समझौता हो जाता है, तो ऐसे मामले में न्यायालय में मूल रूप से पहले भुगतान किये गए न्यायालय शुक्ल को वादकारी को वापस कर दिया जाता है।
- लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक अवार्ड अंतिम होगा और यह अवार्ड (निर्णय) विवादों के सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
- लोक अदालत के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जाएगी।

लोक अदालत के अवार्ड (निर्णय) के खिलाफ क्या अपील होती है ?

- लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दिया गया है। जिसके तहत लोक अदालत के अवार्ड (निर्णय) को सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है, जो कि दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। लोक अदालत के अवार्ड (निर्णय) के विरुद्ध किसी भी न्यायलय में अपील नहीं की जा सकती है।

End.....

धन्यवाद

अधिक जानकारी के लिए 94566-39869 पर संपर्क करें